लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
अति–3/4/पी0सी0एस0 प्री0 परीक्षा 2019/2019–20
प्रयागराजः दिनांक :17 फरवरी, 2020

प्रेस–विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) (प्रा0) परीक्षा–2019 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा0) परीक्षा–2019 के आयोजन हेतु एक विज्ञापन संख्याः ए–2/ई–1/2019 दिनांकित 16 अक्टूबर, 2019 निर्गत किया गया था। आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 13–11–2019 निश्चित की गई थी। विज्ञापन की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति आवरण पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कुल 544664 आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। जब कि कुल 318147 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रश्नगत परीक्षा 15 दिसम्बर, 2019 को प्रदेश के 19 जनपदों के कुल 1166 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा हेतु कुल 6320 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

प्रश्नगत प्रा0 परीक्षा में सम्मिलित पदों की विशिष्ट अर्हताओं तथा अभ्यर्थियों के आनलाइन दावों के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा (सामान्य चयन) का परिणाम 07 अलग–अलग ग्रुपों में तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रा0 परीक्षा 2019 एवं सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) प्रा0 परीक्षा 2019 का परिणाम पृथक से घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही के सम्बन्ध में इस प्रारभिक परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिये पृथक से विज्ञप्ति जारी की जायेगी। परिणाम सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट **http://uppsc.up.nic.** पद पर भी उपलब्ध है।

2–प्रश्नगत परीक्षा का सम्पूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। अतः अभ्यर्थियो से यह अपेक्षित है कि वे मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में जारी होने वाली विज्ञप्ति के

अनुसार वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा मुख्य परीक्षा हेतु उनका परिणाम/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

6– प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित अंतिम उत्तर कुंजी, प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/पदवार कट आफ अंक अन्तिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिये जायेगें एवं तत्समय इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)
सचिव।